



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 32601 वर्ष 2025

विजय कुमार

...आवेदक/आवेदकों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, गृह सचिव के माध्यम से

...विपक्षी पक्षकार

उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ

आवेदक के अधिवक्ता: अखिलेश कुमार

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री एस.के. राँय की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत याचिका अभियुक्त-आवेदक विजय कुमार की ओर से दायर की गई है, जिसमें वाद संख्या 282/2025, धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम और पीओसीएसओ अधिनियम की धारा 3/4, पुलिस स्टेशन रामपुर, जिला सहारनपुर में विचारण न्यायालय के समक्ष मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहाई की मांग की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इसी वाद में झूठा फंसाया गया है और वह 23.07.2025 से जेल में बंद है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि सह-अभियुक्त अजय कुमार और कोहली को इस न्यायालय द्वारा 10.11.2025 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 32820/2025 और 34825/2025 में जमानत पर रिहा किया जा चुका है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और जमानत

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय से भागने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, जमानत की प्रार्थना की गई है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया है।

उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता, सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम वाद को ध्यान में रखते हुए, लेकिन वाद की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

उपरोक्त वाद (अपराध संख्या) में अभियुक्त-आवेदक विजय कुमार को, उनके द्वारा स्वीय बंधपत्र और समान राशि के दो विश्वसनीय जमानतों को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं और मुकदमे में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित अदालत द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

13 जनवरी, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रियंका

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

Translated version, Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।